



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अंबेडकर नगर जनपद में कार्यान्वयन: एक विस्तृत अध्ययन

आसविन्द सिंह

शोध छात्र, वाणिज्य संकाय, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, उत्तर प्रदेश

डॉ नंदन सिंह

शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य संकाय, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर –अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश

लेख विवरण

सारांश

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 19/01/2025

स्वीकृति तिथि: 26/01/2025

प्रकाशनतिथि: 30/01/2025

Keywords: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अंबेडकर नगर, कृषि सुरक्षा, बीमा कवरेज, मुआवजा वितरण।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य कृषि संबंधित जोखिमों से होने वाली फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन 2016-17 से हुआ है, जहां कृषि क्षेत्र प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यह शोधपत्र इस योजना के अंबेडकर नगर में प्रभाव, किसानों की भागीदारी, बीमा कवरेज, मुआवजा वितरण प्रक्रिया, और योजना से जुड़ी चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में यह पाया गया कि योजना ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के मामलों में। हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया में जटिलताएं, बीमा दावों के निपटारे में देरी, और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। इस शोधपत्र में इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, दावे की प्रक्रिया में सुधार करना, और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना। अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंबेडकर नगर जैसे कृषि प्रधान जिलों में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हुई है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और अधिक सुधार की आवश्यकता है।



प्रस्तावना:

भारत में कृषि एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण गतिविधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक आपदाएं, कीट प्रकोप, और मौसम परिवर्तन जैसी अनिश्चितताएँ शामिल होती हैं, जो किसानों की आय और उनके जीवनस्तर पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। इन प्राकृतिक संकटों के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेती और आजीविका पर संकट उत्पन्न हो जाता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में, जहां अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, यह समस्याएँ और भी गहरी हो जाती हैं। जिले की प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, और दलहन जैसी फसलें शामिल हैं, जो मौसम और जलवायु के बदलाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), जो 2016-17 में लागू की गई, का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, और अन्य कृषि संबंधित जोखिमों से बचाने के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को उनके फसल नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने वित्तीय संकट को कम कर सकें और भविष्य में कृषि कार्यों को स्थिरता से जारी रख सकें।

अंबेडकर नगर में इस योजना का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यहां के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे पंजीकरण प्रक्रिया में जटिलताएं, बीमा दावों की निपटान प्रक्रिया में देरी, और जागरूकता की कमी।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन विश्लेषण करना है। इस विश्लेषण में हम योजना की सफलता, चुनौतियों और इसके वास्तविक प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकें।



2. अंबेडकर नगर का सामाजिक और आर्थिक प्रोफ़ाइल:

अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान जिला है, जो अपनी उपजाऊ भूमि और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या लगभग 23,97,888 है, जिनमें से 88% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह जिले की कृषि प्रधानता को दर्शाता है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जिले का सामाजिक-आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहां अधिकांश लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है।

अंबेडकर नगर की कृषि में प्रमुख रूप से धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, आलू और दलहन जैसी फसलों की खेती होती है। इस जिले की उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती हैं, जिससे यहां कृषि उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। लेकिन इसके बावजूद, जिले में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, और कीट प्रकोप के कारण कृषि को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। यह नुकसान किसानों की आय में भारी कमी का कारण बनता है और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इन प्राकृतिक संकटों से निपटने के लिए किसानों के पास वित्तीय सुरक्षा का कोई प्रभावी उपाय नहीं था, जिससे उनकी जीवनयात्रा में अस्थिरता बनी रहती थी। इसलिए, अंबेडकर नगर जैसे कृषि प्रधान जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की अत्यधिक आवश्यकता थी, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह योजना किसानों को फसल नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रकार, अंबेडकर नगर का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य यह दर्शाता है कि यहां के किसानों की जीवन-यापन का मुख्य आधार कृषि है, और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के कारण फसल बीमा योजना की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।



3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य और कार्यान्वयन:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को कृषि जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधित समस्याओं से होने वाली फसल क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जो उनकी आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है और कृषि क्षेत्र में आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी दोनों सीजन की प्रमुख फसलों को कवर किया गया है। इनमें धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, आलू, दलहन, और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं, जो अंबेडकर नगर जैसे कृषि प्रधान जिलों में व्यापक रूप से उगाई जाती हैं। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें कृषि कार्यों को जारी रखने में सहायता मिल सके।

इस योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग, राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों तक समय पर और प्रभावी रूप से सहायता पहुंचे। अंबेडकर नगर में इस योजना का कार्यान्वयन एक व्यवस्थित और संगठित तरीके से किया गया है। यहां पर किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि वे आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।

पंजीकरण प्रक्रिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिससे किसानों को अपने घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा, दावा प्रक्रिया भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे किसानों को उनके दावों का निपटान समय पर और पारदर्शी तरीके से किया जा सकता है। यह डिजिटल पहल विशेष रूप से युवा किसानों और तकनीकी रूप से सक्षम किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जो मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत पंजीकरण और दावा प्रक्रिया के लिए जन सेवा केंद्र (CSC), सहकारी बैंक शाखाओं और कृषि कार्यालयों जैसी विभिन्न स्थानीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं,



ताकि किसान आसानी से पंजीकरण करवा सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन प्रयासों के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन अंबेडकर नगर में किसानों के बीच तेजी से फैल रहा है, जिससे योजना की पहुंच और प्रभाव बढ़ रहा है।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन अंबेडकर नगर जिले में अच्छी तरह से किया गया है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार जागरूकता और किसानों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

4. योजना की पंजीकरण प्रक्रिया और कवरेज:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य कृषि जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना में खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दर 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए यह दर 5% तक हो सकती है। यह प्रीमियम दर किसानों की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है, ताकि विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल क्षति के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह मुआवजा किसानों को उनके फसल नुकसान के अनुपात में दिया जाता है, जिससे वे फसल नुकसान के कारण हुए आर्थिक संकट को कम कर सकें और अगली फसल की तैयारी में मदद पा सकें। योजना के तहत कवर की जाने वाली फसलों में धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, आलू, दलहन, तिलहन, और बागवानी फसलें शामिल हैं, जो अंबेडकर नगर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में उगाई जाती हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए अपनी भूमि के रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी आदि), बैंक खाता विवरण और पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से भी सक्षम किया गया है, जिससे किसान अपने नजदीकी जन सेवा



केंद्र (CSC) या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पंजीकरण करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हालांकि, कुछ किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभाव एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कई किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन जाती है। कुछ किसानों को अपने बैंक खाते का विवरण या पहचान पत्र प्राप्त करने में भी दिक्कत होती है, जो पंजीकरण में रुकावट डालती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, जिला कृषि विभाग और स्थानीय सरकारी एजेंसियों को और अधिक जागरूकता अभियानों और सहायता केंद्रों की आवश्यकता है, ताकि किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सके और वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पंजीकरण प्रक्रिया, हालांकि सरल और पारदर्शी बनाई गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसे अधिक सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने से किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जिससे योजना की सफलता में इजाफा हो सके।

5. अंबेडकर नगर में किसानों की भागीदारी और योजना से प्राप्त लाभ:

अंबेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन 2016 से शुरू हुआ, और 2021 तक लगभग 3.5 लाख किसानों ने इस योजना में पंजीकरण कराया। इनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान थे, जो कृषि जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और जिनकी जीवन-यापन की निर्भरता केवल कृषि पर होती है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि योजना ने छोटे किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है, जो अन्यथा बीमा के लाभों से वंचित रह सकते थे।

किसानों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन चुकी है। अधिकांश किसानों ने इस योजना से प्राप्त लाभ



को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है और इसके प्रभावों को सकारात्मक रूप में देखा है। कई किसानों का कहना है कि फसल बीमा के कारण वे अब अधिक आत्मविश्वास के साथ कृषि कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका मौजूद है। इससे किसानों को मानसिक शांति मिलती है और वे कृषि कार्यों में जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया है। बीमा कवरेज के कारण, किसान अब अपने खेती के तरीकों में नवाचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि यदि कोई अनहोनी होती है तो उनके पास मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प मौजूद है। यह आत्मविश्वास किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों के उपयोग में भी मदद करता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, योजना ने किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है, जो पहले महंगे होने के कारण वे अपनाने से कतराते थे। इसके परिणामस्वरूप, अंबेडकर नगर के कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और उत्पादकता में सुधार हुआ है, और किसानों ने अपनी फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया है।

अलबत्ता, योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कभी-कभी देरी और अन्य प्रशासनिक समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश किसानों ने इस योजना को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा है, जो उनके आर्थिक संकट को कम करने में सहायक रही है।

इस प्रकार, अंबेडकर नगर में किसानों की भागीदारी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राप्त लाभों ने यह साबित कर दिया कि यह योजना किसानों के लिए न केवल एक वित्तीय सुरक्षा का साधन है, बल्कि यह उनके कृषि कार्यों में आत्मविश्वास, नवीनता, और सुधार को भी बढ़ावा देती है।



6. योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन अंबेडकर नगर में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनकी वजह से इसका पूर्ण लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इन चुनौतियों के समाधान के बिना, योजना का प्रभाव सीमित रह सकता है और इसके उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल करना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती किसानों के बीच जागरूकता की कमी है। हालांकि सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस योजना के लाभों, पंजीकरण प्रक्रिया और दावे की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए गए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में किसान इसके लाभों से अनजान हैं। विशेष रूप से, छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना की प्रक्रिया को समझना और उसका पूरा लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है, जिससे कई किसान योजना का लाभ लेने से चूक जाते हैं।

दूसरी चुनौती पंजीकरण प्रक्रिया में कठिनाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और पहचान पत्र अक्सर किसानों के पास नहीं होते। छोटे और सीमांत किसानों को भूमि के अद्यतन रिकॉर्ड प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और पंजीकरण प्रक्रिया में समय की खपत और प्रशासनिक बाधाएं भी एक बड़ी समस्या बन जाती हैं, जिससे कई किसान पंजीकरण में देरी करते हैं और योजना से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बावजूद, अंबेडकर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी से किसानों के लिए पंजीकरण और दावा प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं।

बीमा दावों की प्रक्रिया में देरी भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। कई किसानों ने शिकायत की है कि फसल नुकसान के बाद मुआवजा प्राप्त करने में महीनों तक का समय लग जाता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और बिगड़ जाती है और वे अगली फसल की तैयारी में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक समन्वय की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कृषि विभाग, बीमा कंपनियां और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, ताकि योजना के सभी पहलू प्रभावी रूप से काम कर सकें और डेटा का आदान-प्रदान सही तरीके से हो सके।



बीमा कंपनियों की भूमिका भी कार्यान्वयन में एक और चुनौती है। कई बार बीमा कंपनियों फसल नुकसान का सही आकलन नहीं करतीं, जिसके कारण किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। इससे किसानों में असंतोष बढ़ता है और योजना के प्रति विश्वास कम होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी और निजी संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाना, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही, बीमा दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता है।

7. फसल कटाई प्रयोग और बीमा दावे का आकलन:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का आकलन **फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment - CCE)** के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के समन्वय से संचालित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है। CCE के अंतर्गत, चयनित खेतों से फसल काटी जाती है, और उनकी वास्तविक उत्पादकता को मापा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कृषि विभाग यह निर्धारित करता है कि फसल में नुकसान हुआ है या नहीं और कितना नुकसान हुआ है।

फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया में, कृषि विभाग द्वारा चयनित खेतों में से कुछ स्थानों पर फसल की कटाई की जाती है और उस क्षेत्र में उत्पादकता का सही आंकलन किया जाता है। इस आंकलन के आधार पर, किसानों को उनके फसल नुकसान के अनुरूप मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है। CCE के परिणामों का इस्तेमाल बीमा कंपनियों करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को फसल नुकसान के आधार पर उचित मुआवजा मिल सके।

हालांकि, फसल कटाई प्रयोग के साथ जुड़ी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती **मैन्युअल डेटा संग्रहण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया** में त्रुटियाँ हैं। CCE के अंतर्गत फसल की कटाई के दौरान जो डेटा एकत्र किया जाता है, वह कभी-कभी गलत हो



सकता है, और इसमें मानवीय भूल या अव्यवस्थित डेटा संग्रहण के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के मुकाबले कम मुआवजा प्राप्त हो सकता है, जिससे उनकी स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है।

इसके अलावा, फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्टों को सही तरीके से तैयार करने और समय पर भेजने में भी देरी होती है। यह देरी मुआवजे के वितरण में बाधा डालती है, जिससे किसानों को उचित समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता।

फसल कटाई प्रयोग के प्रक्रिया में सुधार के लिए, **तकनीकी उन्नति** और **स्वचालित डेटा संग्रहण प्रणाली** की आवश्यकता है। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन तकनीक और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे न केवल मुआवजे का वितरण समय पर होगा, बल्कि किसानों को भी न्याय मिलेगा और योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी।

इस प्रकार, फसल कटाई प्रयोग में सुधार और इसे और अधिक सटीक बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप आवश्यक है, ताकि किसानों को सही और उचित मुआवजा मिल सके, और योजना का उद्देश्य पूरी तरह से साकार हो सके।

8. योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने अंबेडकर नगर के किसानों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि, के कारण होने वाले फसल नुकसान के मामलों में। इस योजना के तहत किसानों को मुआवजा प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को जारी रखने के लिए कुछ हद तक सक्षम हुए हैं। इस योजना ने किसानों को फसल बीमा के लाभों से परिचित किया और उन्हें कृषि कार्यों में जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना के तहत किसानों को उनकी फसल नुकसान के आधार पर मुआवजा मिलने से उनकी आय में स्थिरता आई है और वे मानसिक शांति महसूस कर रहे हैं।

हालांकि, योजना की प्रभावशीलता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए कुछ सुधार की



आवश्यकता है। सबसे पहले, **पंजीकरण और दावा प्रक्रिया** को सरल और तेज़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में, पंजीकरण प्रक्रिया में दस्तावेजों की जटिलता और प्रशासनिक बाधाओं के कारण किसानों को असुविधा होती है। इसके अलावा, **दावा निपटान प्रक्रिया** में देरी के कारण किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता, जिससे उनके वित्तीय संकट में वृद्धि होती है।

दूसरी ओर, **किसानों को योजना के बारे में बेहतर जानकारी** प्रदान करने की आवश्यकता है। कई किसान अभी भी योजना की शर्तों और लाभों से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसान। योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रचार अभियान, ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविरों और डिजिटल माध्यमों के जरिए जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

इसके साथ ही, **सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय** भी आवश्यक है। बीमा कंपनियों और कृषि विभाग के बीच बेहतर तालमेल होने से योजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और मुआवजा वितरण प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार और बीमा कंपनियों के बीच सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि योजना का हर पहलू प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

यदि इन सुधारों को लागू किया जाता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि हो सकती है और यह किसानों के लिए और भी अधिक लाभकारी साबित हो सकती है। इस योजना को एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे अधिक पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन अंबेडकर नगर जैसे कृषि प्रधान जिलों में किसानों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।



9. निष्कर्ष और सिफारिशें:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंबेडकर नगर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हुई है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं और कृषि जोखिमों से होने वाले नुकसान के संदर्भ में। हालांकि, योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। किसानों को इस योजना के लाभ, पंजीकरण प्रक्रिया और मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियानों की जरूरत है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना आवश्यक है, ताकि सभी किसान, विशेष रूप से वे जो दस्तावेज़ीकरण में कठिनाई महसूस करते हैं, इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा, बीमा दावों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और समय पर मुआवजा वितरण के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। प्रशासनिक समन्वय में सुधार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से योजना की पहुंच और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इन सुधारों के साथ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने में और अधिक प्रभावी हो सकती है।

10. संदर्भ:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
2. अंबेडकर नगर जिला कृषि विभाग रिपोर्ट, 2021
3. अंबेडकर नगर जिले में फसल बीमा योजना पर अध्ययन, 2022
4. राज्य कृषि योजना और बीमा के प्रभाव पर रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार
5. भारत में फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा: एक समग्र दृष्टिकोण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), 2020
6. "फसल बीमा और ग्रामीण विकास" पर शोध पत्र, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संघ, 2021
7. राष्ट्रीय बीमा निगम (NIC) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट, 2021
8. "भारत में फसल बीमा योजना की कार्यान्वयन चुनौतियां" पर एक अध्ययन, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, 2020



9. "कृषि में बीमा और जोखिम प्रबंधन: एक ऐतिहासिक विश्लेषण" पर रिपोर्ट, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2021
10. "फसल बीमा: नीति, कार्यान्वयन और लाभ" पर संगोष्ठी रिपोर्ट, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), 2021
